भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम जमशेदपुर।

भूमि वापसी वाद संख्या :– 18/2023–2024

मंगल हाँसदा —बनाम— हिकिम चन्द्र टुडू

दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई
13/01/2024		

आवेदक मंगल हाँसदा, पिता– स्व0 पोगा हाँसदा, सा0–करनडीह, पो0–टाटानगर, थाना–परसुडीह, अंचल–जमशेदपुर, जिला– पूर्वी सिंहभूम, से अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी के लिए प्राप्त आवेदन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A)के अधीन इस वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस वाद में हिकिम चन्द्र टुडू, पिता–दासमत टुडू, सा0–करनडीह, श्यामा प्रसाद स्कूल रोड़, करनडीह, पो0–परसुडीह, अंचल–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम को विपक्षी बनाया गया है। इस वाद की प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है–

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट नं0	रकवा
करनडीह	1166	299	809, 810	13.58 डी0

उपरोक्त भूमि पर जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षो को नोटिस निर्गत किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है। वादग्रस्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में मूल रूप में संलग्न है। अंचल अधिकारी जमशेदपुर के द्वारा अपने प्रतिवेदन में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि हाल सर्वे के अनुसार मौजा–करनडीह, थाना नं0– 1166, खाता सं0–299, प्लॉट नं0– 809, 810, रकवा– 13.58 डी0 खतियानी रैयत अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार एवं उक्त भूमि का पंजी–II रैयत रेंचु संथाल एवं मंगल संथाल, पिता–पोंगा संथाल के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। विपक्षी हिकिम चन्द्र टुडू, पिता–दासमत टुडू, सा0–करनडीह, श्यामा प्रसाद स्कूल रोड़ पो0–परसुडीह, अंचल–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम भूमि पर अवैध कब्जा में है। उक्त भूमि को विपक्षी के द्वारा दखल कब्जा किया गया है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक–12.12.2023 को अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जो मूल रूप से अभिलेख में संलग्न है। विपक्षी के द्वारा दायर कारण पृच्छा में उल्लेख है कि –

1. That the proceeding is not maintainable in its present form as against the opposite party either on points of law or facts.
2. That the description of the land in question is vague and incomplete
3. That applicant has not made proper enquiry prior to filling this case. The alleged enquiry report is misconceived as no such enquiry has been made in presence of the opposite party.
4. That as matter of fact, the answering opposite party has filled a Civil Suit being Original Title Suit No.80 of 2017 against the applicant and others relating to the proceeding land and other adjoining plots of land of mouza Karandih.
5. That the applicant appeared and has filed written statement in the said title suit. The said suit is at present pending in the court of Sri V.K. Bhagat Civil Judge Division of Jamshedpur.
6. That the applicant has suppressed the aforesaid fact designedly with intent to mislead this court and also to harass the opposite party. He has not approached this Learned Court with clean hand. As such, this proceeding ought to be dismissed on the score alone.
7. That it is admitted fact that the land question under Khata No. 299 bearing Plot No. 809(Part) and portion of plot no.810 of Mouza Karandih is not the raiyat land rather the same is khas land stands recorded in the name of state of Bihar (|Now Jharkhand) as such, the applicant has no locus standie to bring this case against the opposite party that too, when the matter is still subjudiced before the competent Civil Court at Jamshedpur
8. That the alleged expart order obtained by the applicant in T.S. No. 134/89 and Rent Fixation Case No. 27/91-92 and 5/92-93 and the Jamabandi is misconceived

Scanned with OKEN Scanner

and against the mandatory provision of law in view of the fact that Dy. Commissioner, East Singhbhum had not been made party in the said suit. Beside the answering opposite party had not been made party in the suit said. As such the answering opposite party is not binding by the alleged exparte order if passed in said alleged T.S. No. 134/89.

9. That the nature of the land has been converted into Chhaparbandi land as old structures are standing in the said land under the peaceful occupation of the opposite party.
10. That the opposite party has been in all fact of peaceful physical possession in the land in question right from 1985 onwards that is for last more than 30 years. As such this proceeding is barred by the law of limitation.
11. That the opposite party belongs to the santhal community recognised as schedule tribe.
12. That the possession of the opposite party is open undisputed and in continuity to the hostility of the state govt. as well as the applicant
13. That the dispute is civil in nature and matter is still pending in the aforesaid competent civil court at Jamshedpur.
14. That in view of above, this proceeding is not at all tenable in law and ought to be dismissed.
15. That other points shall be urged at the time of hearing

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक–12.12.2023 को अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जो मूल रूप से अभिलेख में संलग्न है। अपीलार्थी के द्वारा दायर कारण पृच्छा में उल्लेख है कि –

1. That the proceeding land is situated at mouza karandih, Thana no. 1166, khata no 299, portion of plot no. 809, 810 measuring an area 3.10 decimal out of 1.35 acre land which is recorded raiyat of register(II) in the name of applicant deceased grandfather RENCHU SANTHAL.
2. That the previous survey settlement year 1934-1935 proceeding land was recorded in the name of RENCHU SANTHAL but due to by mistake by survey govt. recent survey govt. recent survey settlement year 1960-61 land was declared govt. land (Anabad Bihar Sarkar) that after applicant grandfather RENCHU SANTHAL immediately filed a title suit against Govt of Bihar vide title sutit no. 134/1989.
3. That after aforesaid title suit no. 134/1989 decreed on 06-11-1990 before the honourable court of munsiff at Jamshedpur in favour of plaintiff namely RENCHU SANTHAL.
4. That after got the said title suit decree in favour of plantiff RENCHU SANTHAL filed rent fixation case no 27/1990-91 and 5/1992-93 before the honourable court of ADC East Singhbhum Jamshedpur and after passed an order in favour of RENCHU SANTHAL on dated 22.12.1998 and after directed to remand back to case recorded to lower court for further proceeding of rent fixation.
5. That the recently as per raiyat of register-II, applicant pay the rent regularly up to date.
6. That the opposite party SAMEER KUMAR GOSWANI belongs to non-tribal community and illegally occupied proceeding land since seven years.
7. That the opposite party knowingly occupied the tribal land and violated the various section of CNT Act.
8. That entire East Singhbhum disctrict is declared fifth schedule are under article 244 sub clause 2 of the constitution of India and under section 71 A CNT act are beneficial legislation enacted for the purpose of safe guarding the interest of members of schedule tribes any transfer any transfer "made in contravention of the provision of section 46 or transfer obtain by coercive or fraudulent methods are liable to be annulled under section 71A CNT Act 1908.

It is therefore prayed that your honor kindly ought to be restored in favour of members of scheduled tribes, which shall act of kindness petitioner shall ever pray.

Intervenor मोरा हाँसदा के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक–12.12.2023 को

Scanned with OKEN Scanner

Intervenor मोरा हाँसदा के द्वारा दायर कारण पृच्छा में उल्लेख है कि –

1. That having come to know that the applicant has filed this case with respect to the land under khata no.299 bearing portion of plot no.809 and 810 area measuring 13.58 decimal of Mouza Karandih P.S. Parsudih, |East Singhbhum, the petitioner is filling this petition with prayer to allow him to intervene this case.
2. That the petitioner is one of the co-parcenors of the ancestral joint property including the proceeding land of this case.
3. That the common ancestor of the applicant and the petitioner was Virdhan Santhal who died leaving behind the applicant's father and the petitioner's father Late Mora Hansda as his sons and legal heirs and successors.
4. That the immovable properties left by the deceased ancestor of the applicant and this intervenor has not been joint possession over the same in the said landed property.
5. That the matter relating to the proceeding land of this case is also pending in the Civil Court at Jamshedpur filed by the opposite party this case namely Hakim Chandra Tudu. The applicant and this intervener are figured as defendants in the original Title suit No.80/2017 which is still pending in the court of Sri V.K Bhagat Civil Judge Jr. Division at Jamshedpur.
6. That the petitioner states that he is the necessary party and his presence is essential for just and proper adjudication of this case.
7. That in the interest of justice, the petitioner may be impleaded as the party in this case.
8. That order points shall be urged at the time of hearing

उभय पक्ष एवं मध्य पेक्षक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दावा के पक्ष में कारण–पृच्छा एवं प्रस्तुत कागजातों तथा अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पंजी–II आदिवासी रैयत की भूमि है। आवेदित भूमि मौजा– करनडीह, थाना नं0–1166, खाता सं0–299, प्लॉट नं0–809,810, रकवा – 13.58 डी0 खयितानी रैयत अनाबाद बिहार/झारखण्ड एवं पंजी–II रैयत अनुसूचित जनजाति(आदिवासी) के नाम से दर्ज है। जो स्वत्ववाद संख्या–134/1989 का लगान निर्धारण वाद संख्या–27/1991–92 एवं 5/1992–1993 के आदेशानुसार रेंचो संथाल एवं मंगल संथाल के नाम से जमाबंदी कायम की गई हैं। विपक्षी के द्वारा वाद ग्रस्त भूमि संबधी किसी प्रकार का रैयत से भूमि हस्तांतरण से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है। परन्तु आदिवासी खाते की वादग्रस्त भूमि गैर आदिवासी को हस्तांतरण किए जाने से संबंधित कोई वैध साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्टतः प्रश्नगत भूमि आदिवासी भूमि को अवैध हस्तांतरण हुआ है। वादग्रस्त भूमि का दखल कब्जा अवैध हैं 2004(3) JLJR(SC) 103 [2004 (3) PLJR(SC) 212, में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं 2005(3) PLJR Page No-477 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह रूलींग दी गई है कि यदि अवैध रूप से दखल करने वाले व्यक्ति ने किसी आदिवासी रैयत की भूमि पर उक्त प्रावधान को परास्त करने की नियत से कोई Structure (संरचना) खड़ा कर दिया हैं तो ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति भी देय नहीं होगी। छो०का०अधि० की धारा 71(A) में भूमि वापसी का व्यापक दायरा दिया गया है। जिसके अनुसार यदि किसी भी समय उपायुक्त के संज्ञान में यह आवे की CNT Act की धारा–46 या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या किसी भी कपटीपूर्ण विधि से किसी आदिवासी रैयत की भूमि का अवैध अंतरण हुआ है तो भूमि वापसी की कार्रवाई की जा सकती है। छो0का0अधि0 के तहत् आदिवासी खाते की भूमि को हस्तांतरण के पूर्व उपायुक्त से अनुमति लेना आवश्यक है। वाद में निहित भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। पूर्व अनुमति से संबंधित उपायुक्त का आदेश विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है अर्थात् विपक्षी के द्वारा जिस भूमि को कब्जा किया गया है, वह बगैर उपायुक्त के अनुमति के प्राप्त किया गया है। इससे छो0 का0 अधि0 का धारा 46 का उल्लंघन है। आदिवासी और आदिवासी के बीच हस्तांतरण में भी उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

इस न्यायालय/कार्यालय के पत्रांक–2278/रा०, दिनांक–14.12.2023 के माध्यम से मध्य पेक्षक का वादग्रस्त भूमि से संबंधित वंशावली अंचल अधिकारी, जमशेदपुर से वाद की सुनवाई के क्रम में माँगा गया। परन्तु न तो मध्य पेक्षक और न ही अंचल अधिकारी के द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित वंशावली समर्पित किया गया। मध्य पेक्षक द्वारा अन्य अंचल के भूमि से संबंधित वंशावली की छायाप्रति समर्पित किया गया। जिससे वादग्रसत भूमि में मध्य पेक्षक का वंशावली एवं दावा स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। साथ ही प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित वादग्रस्त भूमि का Rent fixation case no- 27/1991-1992/05/1992-1993 (छायाप्रति अभिलेख में संलग्न)

वाद में पारित आदेश में केवल रेंचु संथाल एव मंगल संथाल के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। इससे भी मध्य पेक्षक का दावा स्पष्ट प्रतीत नहीं हो पा रहा है।

अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के द्वारा वादग्रस्त भूमि संबंधित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी हिकिम चन्द्र टुडू पिता दासमत टुडू लगभग 50 वर्षों से अवैध कब्जा में है तथा खपरैल का मकान बनाकर है। परन्तु वादग्रस्त भूमि संबंधी Rent fixation case no 27/1991-1992/05-1992-1993 (छायाप्रति अभिलेख में संलग्न) पारित आदेश के अंतिम पृष्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि **"मैनें दिनांक–07.03.2000 को प्रश्नगत स्थल का जाँच किया। जाँच के समय मेरे साथ अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक तथा हल्का कर्मचारी भी थे। स्थल पर आवेदक रेन्चु संथाल की पत्नी रूपी संथालिन उपस्थित थी जो प्रश्नगत भूमि पर लगे साग–सब्जी को पानी पटा रही थी। पुछने पर बताया कि उक्त भूमि पर उन लोगों के द्वारा ही साग–सब्जी लगाया गया है। प्रश्नगत भूमि झाड़ी से चारों तरफ घिरा हुआ पाया। प्रश्नगत भूमि पर एक टुटी–फुटी झोपड़ी भी बना हुआ पाया, जो रेन्चु संथाल वगैरह द्वारा निर्मित बताया गया।"** इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व से ही आवेदक के वंशज/रैयत के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवासीत है। विपक्षी का द्वावा सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मेरा यह अभिमत है कि इस वाद में छो0का0अधि0 की धारा 71(A) का प्रावधान लागु होता है। अतः उक्त धारा के तहत आदेश पारित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर से विपक्षी को हटाकर उसका दखल पंजी–II रैयत के जीवित उत्तराधिकारी(प्रथम पक्ष) को वापस दिलाया जाय। तदनुसार अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को दखल दिहानी परवाना निर्गत करें।

उभय पक्ष एवं मध्य पेक्षक को आदेश से अवगत करायें। अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।

लेखापित एवं संशोधित

13/01/24

उपायुक्त
(अधिनियम के अंतर्गत)

लेखापित एवं संशोधित

13/01/24

उपायुक्त
(अधिनियम के अंतर्गत)

Digitally signed by GOUTAM KUMAR
Date: 2024.08.29 12.39.50 +05:30
Location: 10.93.20.53

Scanned with OKEN Scanner